12.	डा० एस० जे० रहमान, सहायक निदेशक, दिल्ली	सदस्य
13.	श्री एम० एस० मूर्ति, सलाहकार (रसायन), नई दिल्ली	सदस्य
14.	डा० एस० आर० द्विवेदी, निदेशक, दिल्ली	सदस्य
15.	श्री जे० सी० जैसानी, सचिव, नई दिल्ली	सदस्य
16.	डा० बी० एस० अत्री, पर्यावरण अधिकारी, नई दिल्ली	सदस्य
17.	सहायक महानिदेशक (पी० पी०), नई दिल्ली	सदस्य
18.	डा० ए० एस० सिरोही, प्रभागाध्यक्ष, कृषि अर्थशास्त्र, नई दिल्ली	सदस्य
19.	डा० डी० पी० नाग, उप-निदेशक (चिकित्सा विष विज्ञानी)	सदस्य
20.	डा० जाफर फतेहाली, अध्यक्ष, बंगलोर—56204	सदस्य
21.	डा० डी० कानूनगो, चिकित्सा विष-विज्ञानी, फरीदाबाद ।	सदस्य

राष्ट्रीय आवास नीति

1751. श्री भंवर लाल पंवार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान राष्ट्रीय आवास नीति के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास हेतु तथा पर्यावरण की दृष्टि से उत्पन्न गंभीर आवासीय समस्या के समाधान हेतु कोई विस्तृत योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है, यदि नहीं, तो क्या बढ़तेहुए शहरीकरण के कारण होने वाली इस गंभीर समस्या के निवारण के लिये कोई समयबद्ध योजना तैयार किये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास नीति के प्रारूप, जिसको इस समय अन्तिम रूप दिया जा रहा है, में यह माना गया है, कि आवास क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास

एक कठिन घटक है।

प्रारूप नीति में विकसित भूमि, अर्द्ध संरचना, वित्त, नवीन प्रौद्योगिकी और लागत प्रभावी भवन निर्माण सामग्रियों की व्यवस्था तथा कानूनी बाधाओं को समाप्त करने आदि जैसे कई उपायों के माध्यम से बढ़ते हुए शहरीकरण द्वारा उत्पन्न आवास समस्याओं पर काबू पाने के लिये विभिन्न नीतियों की रूप-रेखा भी प्रस्तुत की गयी है।

विदिशा रेलवे स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये पुल का निर्माण

1752. श्री राघवजी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के विदिशा रेलवे स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये पुल निर्माण से संबंधित कार्य एक ठेकेदार को सौंपा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) यदि निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं तथा यह कार्य कब तक शुरू कर दिये जाने की संभावना है ; और

(घ) ठेकेदार को इस कार्य के लिये कितनी राशि का भुगतान किया गया था तथा यह भुगतान कब किया गया था, यदि निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो दोषी अधिकारियों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक इस्पाती ढांचे का निर्माण हो गया है। कुल मिलाकर 30% प्रगति हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ठेकेदार ने अगस्त, 1990 में काम छोड़ दिया था। उससे पहले लगभग 6.15 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया था। ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली गयी है तथा ठेके की शर्तों के तहत आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। काम को विभागीय आधार पर शुरू करने का भी प्रबन्ध किया गया है।

Bansagar Agreement, 1973 on Sone River

1753. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an agreement known as Bansagar Agreement was signed in 1973 between Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh for equitable sharing of water from the Sone river system;

(b) whether it is also a fact that the terms of this agreement are being violated by Uttar Pradesh and Madhya Pradesh by the diversion of Sone river water to hydel projects; and

(c) if so, what steps Government would take to ensure an equitable water supply to Bihar?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA): (a) to (c) Yes, Sir. The Clause 9 of Banasgar Agreement states that as the hydrology of river Sone and its trimutaries is not well established and as Ganga Waters are abundantly available for utilisation by by lift, a special River Commission may be set up for a study of Sone river and drawing up a comprehensive plan for the region taking into account any re-adjustment in he use of water considered necessary by the States. Accordingly, Sone River Commission was set up. It submitted the revised assessment of available waters. During inte-vening period, different uses have emerged, which were not considered earlier. Keeping this in view, a meeting of Chief Minister of Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh was marginal re-adjustment of water uses,